(67)

(118)

: अनुकम्पा नियुक्ति :
: परिपत्र क्रमांक-10 :

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन- भोपाल, 462004

क्रमांक-सी-3-7/2000/3/एक, भोपाल, दिनांक- 17 फरवरी, 04

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश.

विषय :- शासकीय सेवकों की सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार के एक सदस्य को तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति ।

सन्दर्भ :- इस विभाग के समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 1.5.2000, 15.12.2000, 23.7.01, 20.8.2001, 13.12.2001, 31.7.2002, 16.8.2002, 8.10.2002 एवं 22.11.2002.

—00—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में नये निर्देश इस विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 1.5.2000 द्वारा जारी किये गये थे । तत्पश्चात् समय-समय पर संदर्भित ज्ञापनों द्वारा पूरक निर्देश जारी किये गये थे ।

2/ वर्तमान में लागू अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी निर्देशों में आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर सीधी भरती के निम्नतर पद यथा सहायक ग्रेड-3, संविदा शिक्षक, वार्डबॉय, अथवा चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है । इसके अलावा वनरक्षक, पटवारी एवं पंजीयन लिपिक जैसे तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पदों पर भी अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान है । उपरोक्त के अलावा, किसी अन्य कार्यपालिक पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने का प्रावधान नहीं है ।

(68)

3/ कुछ विभागों में तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पदों की अपेक्षा लिपिकीय पदों की संख्या सीमित होने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पा रहा था । अतः राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि आवेदक/आवेदिका द्वारा धारित योग्यता के आधार पर तृतीय श्रेणी के कार्यपालिक पदों [लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों को छोड़कर] पर भी अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है ।

4/ ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे । वर्तमान में विचाराधीन प्रकरणों का निराकरण भी इन्हीं निर्देशों के तहत किया जावेगा परन्तु पूर्व में निराकृत प्रकरणों, अर्थात जिनमें अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है, को पुनः नहीं खोला जायेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

[एम0के0 वर्मा]
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0 सी-3-7/2000/3/एक भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2004

प्रतिलिपिः-

[1] रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर ।
[2] सचिव, लोकायुक्त, म0प्र0 भोपाल ।
[3] सचिव, लोक सेवा आयोग, म0प्र0 इन्दौर ।
[4] महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म0प्र0 भोपाल ।
[5] राज्यपाल के सचिव, म0प्र0 राजभवन, भोपाल ।
[6] प्रमुख सचिव, विधानसभा सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।
[7] प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म0प्र0 भोपाल ।
[8] मंत्री/राज्यमंत्रीगण के निज सचिव, ...

69

(11) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल ।

(12) महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म0प्र0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ, जबलपुर इन्दौर, ग्वालियर ।

(13) महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, म0प्र0 ।

(14) प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल ।

(15) उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षक/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल ।

(16) मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय-भोपाल ।

(17) आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल ।

(18) अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।

(19) अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।

(एम0के0 वर्मा)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.